न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–10/20 (2020/00026) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–मांगीलाल आत्मज सुरजमल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1–केसर पत्नि मांगु गाडरी निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–मुकेश आत्मज लादु गाडरी निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–गोरी पत्नि लादु गाडरी निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–मोहन आत्मज बरदा गाडरी निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–भैरू आत्मज मोती गाडरी निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6–लादु आत्मज मोती गाडरी निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7–ऐजी पुत्री मोती गाडरी निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8–देवा आत्मज उदा गाडरी निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर मृतक के बजाय
8/1–गोपी आत्मज देवा गाडरी निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8/2–बक्षु आत्मज देवा गाडरी निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8/3–चतरू आत्मज देवा गाडरी निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. महेन्द्रसिंह – प्रार्थी अधिवक्ता
2. हरिश टेलर – विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 12.11.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोरियापुरा पटवार हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1182 रकबा 0.27 है0 एवं 1183 रकबा 0.34 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.61 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 257 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित आराजियात में आवागमन का एक मात्र रास्ता ग्राम बोरियापुरा से रेवाड़ा जाने वाली सड़क के दक्षिण पश्चिम स्थित विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वज व 4 लगायत 8 के खातेदारी की आराजी संख्या 1172 की पूर्वी उत्तरी पाली से थोड़ा आगे की तरफ से होकर प्रार्थी की आराजी में प्रवेश कर काश्त करता आ रहा है। उक्त रास्ते से होकर संज, बैल, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर सहित पुराने समय से 12 फीट चौड़े रास्ते से आवागमन शान्ति पूर्वक तरीके से करता चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र में अकिंतानुसार आवागमन करता आ रहा है किन्तु विपक्षीगण ने करीब 1 माह पुर्व नाजायज रूप से जलील व परेशान की नियत से रोड़ के पास के कांटेदार बाड़ लगाकर एक फाटक लगा कर प्रार्थी की आराजी में जाने का रास्ता बन्द कर दिया जिससे प्रार्थी आवागमन नही कर पा रहा है। रास्ता बन्द हो जाने से प्रार्थी की आराजियात में आवागमन करने हेतु विपक्षीगण की आराजियात में 12 फीट चौड़ा रास्ता दर्ज कराया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है ... श्रीमान से सादर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 12:27:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 1172 की पूर्वी उत्तरी पाली से थोड़ा आगे 12 फीट चौड़े रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाया जावे एवं विपक्षीगण द्वारा अपनी आराजी कांटे की बाड़ व फाटक को अस्थायी रूप से लगाया है उसे हटाया जावे व विपक्षीगण की आराजी से प्रार्थी की आराजी संख्या 1182 में प्रवेश करता है वहां तक की जमीन की डीएलसी दर की राशि उन्हे प्रदान कराई जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 13.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 8 के अधिवक्ता हरिश टेलर द्वारा अधिकार पत्र एवं जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। विपक्षीगण 1 लगायत 8 की ओर से जवाब में अकिंत किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को गलत बताते हुए अस्वीकार किया गया। प्रार्थी द्वारा विपक्षी की आराजी पर न तो कभी आवागमन किया ओर न वर्तमान मे है। प्रार्थी की आराजी संख्या 1182 में आवागमन करने का मौके पर अन्य रास्ता उपलब्ध है जिससे होकर प्रार्थी आवागमन करता है। प्रार्थी हम विपक्षीगण आराजी संख्या 1172 मे से होकर प्रार्थी का कोई रास्ता नही है मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम बोरियापुरा से आशाहोली जाने वाली सड़क से होकर बिलानाम नाला की आराजी संख्या 1209 व 1210 की उत्तरी भुजा पर स्थित 15—20 फीट चौड़े रास्ते से होकर आवागमन कर रहा है जिस पर कोई व्यवधान नही है। जिससे प्रार्थी आवागमन कर रहा है। प्रार्थी को किसी भी रूप में रास्ते की अत्यन्तिक आवाश्यकता नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि प्रार्थी मांगीलाल पिता सुरजमल जाट नि. बोंरियापुरा ने आराजी संख्या 1182, 1183 में आवागमन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी वर्तमान में ग्राम बोरियापुरा से रेवाड़ा जाने वाली पक्की सड़क से आराजी नम्बर 1172 से होकर अपनी आराजी में आ जा रहा है। पक्की सड़क के किनारे विपक्षीगण ने छड़िया व लकड़िया डाल रखी है। रास्ते हेतु लकड़ी की फाटक लगी हुई है जिसमे से होकर पैदल आवागमन हो रहा है। वादग्रस्त आराजी 1182, 1183 में प्रार्थी पक्की सड़क से विपक्षीगण की आराजी संख्या 1172 में होकर आ जा रहा है आराजी संख्या 1172 में बरसाती पानी बहता है जो आगे जाकर नाले में मिलता है बिलानाम नाला आराजी संख्या 1209 के किनारे रास्ता बना हुआ है जिसका उपयोग भी प्रार्थी आने जाने में करता है। वर्तमान में प्रार्थी पक्की सड़क से विपक्षी की आराजी संख्या 1172 में होकर अपनी खातदारी आराजी में आवागमन कर रहा है। प्रार्थी ने विपक्षीगण की आराजी संख्या 1172 रकबा 0.12 है0 मे से 12 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है जिससे आराजी संख्या 1172 मे से 0.01 है0 भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई जिसकी डीएलसी दर 77247 रूपये प्रति बीघा होने से 0.01 है0 भूमि की कीमत 3575 रूपये बनती है जिसकी दुगुनी करने पर 7150 रूपये मुआवजा राशि बनती है। वर्तमान रास्ता प्रस्तावित किया है उसे लाल स्याही से एवं अन्य रास्ता बल्यु स्याही से नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है। मौके पर विपक्षीगण ने बताया कि पूर्व में प्रार्थी नाला की आराजी में होकर आवागमन करता था जिसे बल्यू स्याही से दर्शाया गया है। वर्तमान में नाले के किनारे रास्ता बना हुआ है।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्य कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते को डीएलसी दर पर रास्ता उपलब्ध कराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 12:27:27 IST
Reason: SelfAttested

एवं विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारीज फरमाने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण की आराजी संख्या 1172 में से आवागमन किया जा रहा है। इस प्रकरण में विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब के मजीद कथन को बहस में दोहराते हुए निवदेन किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी में आवागमन खसरा नम्बर 1209 एवं 1210 नाले की भूमि मे से होकर कर रहा है विपक्षी की आराजियात में नही। और अन्त में बहस में यह भी निवेदन किया कि फिर भी अगर प्रार्थी को विपक्षी की आराजियात में न्यायालय रास्ता देना उचित समझे तो इसके बदले मुआवजा राशि नही लेकर भूमि दिलाई जावे। तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार खसरा नम्बर 1209 एवं 1210 बिलानाम नाले के रूप में दर्ज है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार प्रतिबधित भूमि होकर अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण से भी प्रभावित भूमि है। इसके साथ ही विपक्षी का कथन है कि नाले की भूमि पर आवागमन करता है किन्तु बरसात के दौरान उक्त नाले की भूमि मे से होकर आवागमन किया जाना संभावित नही है और इस प्रतिबंधित भूमि मे से रास्ता दिया जाना भी विधिविरूद्व है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोरियापुरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1172 रकबा 0.17 है0 मे से 0.01 है0 भूमि की डीएलसी दर 77247/—रूपये प्रति बीघा होने से भूमि कीमत 3575/—रूपये के दुगुनी 7150/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थी द्वारा विपक्षी खातेदारान को मुआवजा भूगतान करने पर या विपक्षीगण द्वारा रास्ते की भूमि के बदले मुआवजा राशि नही लेकर भूमि ली जाती है तो प्रार्थी की आराजी संख्या 1182 की उत्तरी मेड़ के सहारे—सहारे 0.01 है0 भूमि (जो विपक्षीगण की आराजी संख्या 1172 से लगती हुई होगी) विपक्षीगण के नाम दर्ज करते हुए विपक्षीगण की आराजी संख्या 1172 के पश्चिमी मेड़ के सहारे 0.01 है0 भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.11.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 12:27:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—10/20 (2020/00026) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मांगीलाल आत्मज सुरजमल जाट निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—केसर पत्नि मांगु गाडरी निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—मुकेश आत्मज लादु गाडरी निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—गोरी पत्नि लादु गाडरी निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—मोहन आत्मज बरदा गाडरी निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—भैरू आत्मज मोती गाडरी निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—लादु आत्मज मोती गाडरी निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—ऐजी पुत्री मोती गाडरी निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—गोपी आत्मज देवा गाडरी निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—बक्षु आत्मज देवा गाडरी निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—चतर आत्मज देवा गाडरी निवासी बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोरियापुरा तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1172 रकबा 0.17 है0 मे से 0.01 है0 भूमि की डीएलसी दर 77247/—रूपये प्रति बीघा होने से भूमि कीमत 3575/—रूपये के दुगुनी 7150/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थी द्वारा विपक्षी खातेदारान को मुआवजा भूगतान करने पर या विपक्षीगण द्वारा रास्ते की भूमि के बदले मुआवजा राशि नही लेकर भूमि ली जाती है तो प्रार्थी की आराजी संख्या 1182 की उत्तरी मेड़ के सहारे—सहारे 0.01 है0 भूमि (जो विपक्षीगण की आराजी संख्या 1172 से लगती हुई होगी) विपक्षीगण के नाम दर्ज करते हुए विपक्षीगण की आराजी संख्या 1172 के पश्चिमी मेड़ के सहारे 0.01 है0 भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 12.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

12.11.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)

(उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 12:27:27 IST
Reason: SelfAttested